alloted at almost all the Major Ports for augmentation of Tankage facility for POL products including kerosene.

मोम (पैराफीन वैक्स) के वितरण और मूल्यों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करना

977. **श्री सोमपाल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मोम (पैराफीन वैस) के वितरण और मूल्यों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मोम का वर्ष-वार कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(घ) इस उत्पाद के मूल्यों, वर्तमान नियंत्रित मूल्यों और वितरण के संबंध में क्या व्यवस्था है; और

(ङ) किस प्रकार की औद्योगिक अथवा अन्य इकाइयों को यह उत्पाद किस-किस आधार पर आबंटित किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) और (ख) सरकारी नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है तथा जब कभी आवश्यक समझा जाता है इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पैराफिन मोम का स्वदेशी उत्पादन निम्नवत् था:—

वर्ष	मात्रा
1992-93	47 टी एम टी
1993-94	45 टी एम टी
1994-95	41 टी एम टी

(घ) और (ङ) पैराफिन मोम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ववर्ती आधार पर त्रैमासिक रूप से आबंटित किया जाता है जो संबंधित उद्योग निदेशालय के पास 30 जून, 1986 को अथवा उससे पहले पंजीकृत इकाई विशेष को इसकी आपूर्ति करते हैं। सरकार द्वारा प्रशासित मूल्य व्यवस्था के अधीन पैराफिन मोम के लिए भण्डार स्थल पर अधिकतम बिक्री मूल्य नियत किया जाता है। भण्डार स्थल पर पैराफिन मोम के अधिकतम वर्तमान मूल्य (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) निम्नवत् हैं:—

	रु०/एम०टी०
पैराफिन मोम (टाइप I)	15531.98
पैराफिन मोम (टाइप II)	15408.01
पैराफिन मोम (टाइप III)	12157.49

Improving the Efficiency of Postal Services

978. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether steps are being taken by Government to improve the efficiency of the postal department;

(b) if so, the details of the steps taken in that direction in the tribal and hilly regions in the country; and

(c) the State-wise details of the quidelines issued by the Government to improve the efficiency of the postal department?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATION (SHRI SUKH RAM): (a) Yes. Sir. Efforts are made by the department continuously for improving the efficiency of postal services by monitoring the quality of services through visits, inspections and test checks on collection, transmission, segregation and delivery of articles according the prescribed norms. In addition, annual plan programmes, particularly for modernisation, are also being implemented to improve the efficiency of the services.

(b) In respect of hilly, tribal and other remote areas 662 post offices have so far been sanctioned during the 8th five Year Plan period. These post offices are opened as per liberalised norms to facilitate accelerated expansion of postal

services in these areas. In respect of existing post offices also, some offices which were curtailed or closed in the Kashmir Valley due to unavoidable reasons are being reopened in a phased manner.

A target of 89 Panchayat Sanchar Sewa Kendras has also been allocated to Himachal Pradesh and Uttar Pradesh during the annual plan 1995-96. All the Panchayat Sanchar Sewa Kendras in Himachal Pradesh and some in Uttar Pradesh may be opened in the hilly areas. Further, the department's programme of modernisation, particularly through computer-based counter machines also cover selected post offices located in hilly and tribal areas where some of the office have been fully modernised by optimising the benefits of these counter machines. The department's programme for VSAT centres in selected hilly and tribal areas for expediting transfer of funds and providing other useful services. Efforts to provide basic infrastructure in respect of office buildings and staff quarters also extend to such areas.

(c) The regular measures for improvement of efficiency of service cover all offices and services in the country. In respect of new post offices to be opened, the department however, follows liberalised norms providing subsidy upto 85% of coast for hilly and tribal areas.

शिशुओं के लिये दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध पाउडर की मात्रा को सीमित करना

979. **श्री सोमपाल:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुग्ध प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा शिशुओं के लिये दुग्ध उत्पादों तथा दुग्ध पाउडर की मात्रा को अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके विस्तृत कारण क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) सरकार का विचार निर्माताओं द्वारा शिशुओं के लिए तैयार किए जा रहे दूध उत्पादों और दूध पाउडर की मात्रा की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर और अन्य डाक सुविधाओं से विहीन गांव

980. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है जहां न तो डाकघर हैं और न ही लेटरबाक्स;

(ख) क्या दूरदराज के गांवों में डाक-टिकटों और अन्य डाक सामग्री की सदैव कमी रहती है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान ऐसे कितने गांवों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के सभी गांवों में कब तक डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के (श्री सुखराम): राज्य मंत्री (क) देश में बिना डाकघर और लैटर बाक्स वाले गांवों की संख्या, 31.03.1995 की स्थिति के अनुसार, क्रमशः विवरण। और 11 में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ख) जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि दूरदराज के इलाकों के डाकघरों में डाक-सामग्री की हमेशा कमी रहती है। कभी-कभी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ दूरदराज के इलाकों में थोड़े समय के लिए कतिपय मदों की कमी हुई थी।

(ग) देश के गांवों में, वर्ष 1995-96 के दौरान 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) देश के सभी गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना नहीं है। सरकार का लक्ष्य निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार गांवों में डाकघर खोलना है बशर्ते कि जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।